न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–148/2018
CIS NO.-TS.- 509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

श्रीमति सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
15.12.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.09.2022 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से दिनांक 27.09.2022 को आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। जिसमें वादी के द्वारा बताया गया कि वाद लंबन के दौरान प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 20.10.2013 दस्तावेज सं0–8839 एवं दिनांक 11.04.2015 दस्तावेज सं0–3276 परशुराम पाण्डेय एवं अखिलेश महतो के पक्ष में लिखा गया है। वादी के द्वारा जानकारी होने पर दोनों विक्रय विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि निकाला गया जो दिनांक 16.09.2022 को वादी को सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त हुआ। दोनों विक्रय विलेख वादग्रस्त संपति से संबंधित है। जबकि वादग्रस्त संपति पर वादी का कब्जा है। दोनों विक्रय विलेख जिनलोगों के पक्ष में निष्पादित किये गये है। वे दोनों व्यक्ति प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। अतः दोनों व्यक्तियों को प्रतिवादी सं0–07 व 08 बनाने की कृपा करें। प्रतिवादीगणों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज योग्य बताया। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा अपने आवेदन में परशुराम पाण्डेय एवं अखिलेश महतो को प्रतिवादी सं0–07 व 08 बनाने का निवेदन किया है। वाद अभी वादी साक्ष्य हेतु नियत है। क्योंकि वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–148/2018</u>
<u>CIS NO.-TS.- 509/2018</u>

लगातार 15.12.2022	से नामित दोनों व्यक्तियों परशुराम पाण्डेय एवं अखिलेश महतो के पक्ष में बयनामा किया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि से बयनामा के आधार पर दोनों नामित व्यक्ति भी संबंधित है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को वादों की बहुलता को रोकने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। दोनों नामित व्यक्ति इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते है। वादी के द्वारा दोनों विक्रय विलेखों के छायाप्रति भी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनानुसार दोनों नामित व्यक्तियों का नाम प्रतिवादी कॉलम में जोड़े। वाद दिनांक 07.02.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	